पत्रांक –आ0प्र0–131/2007/....................../आ0प्र0

बिहार सरकार
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरूद्ध कुमार,
संयुक्त सचिव।

सेवा में

उप सचिव,
बिहार विधान सभा,
पटना।

पटना–15, दिनांक–

विषयः– **श्री विजय कुमार शुक्ला, माननीय स0वि0स0 के तारांकित प्रश्न संख्या पुन–05 के उत्तर से उद्‌भूत आश्वासन संख्या–753/2007 का कार्यान्वयन (अनुपालन प्रतिवेदन) का प्रेषण।**

प्रसंगः– **बिहार विधान सभा सचिवालय का पत्रांक 57 दिनांक–30.01.2008**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि जिला पदाधिकारी, वैशाली से प्राप्त प्रतिवेदन (पत्रांक 676/जिला आपदा, दिनांक–23.09.2013) के अनुसार उत्तर निम्नवत हैः–

"अंचल अधिकारी, लालगंज द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बाढ़ प्रभावित परिवारों के बीच राहत वितरण में की गई अनियमितता के फलस्वरूप तत्कालीन पंचायत सचिव श्री महावीर साह तथा श्री राजवली पासवान एवं पूर्व मुखिया के विरूद्ध लालगंज थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसका थाना कांड सं0–148/11 दिनांक–23.06.2011 है। भगवानपुर में बाढ़ साहाय्य वितरण की जाँच की गई हैं । जाँच में किसी तरह की अनियमितता का उजागर नहीं हुआ है। "

अतः उपरोक्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुरोध है कि विषयांकित तारांकित प्रश्न से उद्‌भूत विषयाधीन आश्वासन सं0–**753/2007** को इस विभाग की ओर से कार्यान्वित मानते हुए बिहार विधान सभा की लंबित सूची से मुक्त करने का अनुरोध प्रश्न एवं आश्वासन समिति से करने तथा कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह0/–
(अनिरूद्ध कुमार)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–........................../आ0प्र0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपि–उप सचिव, संसदीय कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक–4468/आ0प्र0 पटना–15, दिनांक– 1/10/13

प्रतिलिपि–सुश्री कविता कुमारी, आई0 टी0 मैनेजर, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को इसे विभागीय वेबसाईट पर शीघ्र अपलोड करने हेतु प्रेषित।

1/10/13
संयुक्त सचिव

D:\sanjay sir 2013\letter 30-09-13.docx